भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1327
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

रोजगार कार्यालय

1327. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री रामचरण बोहरा:
श्री विद्युत वरण महतो:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रोजगार कार्यालयों का व्यावसायिक/कैरियर विकास केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में वित्तीय सहायता हेतु राजस्थान और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार रोजगार मिलान, आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों आदि पर सूचना जैसी अनेक प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस परियोजना में निम्न शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल (www.ncs.gov.in)
2. रोजगार संबंधी सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए राज्यों/संस्थानों के सहयोग से मॉडल करियर सेंटरों (एमसीसी) की स्थापना करना। केंद्रीय सरकार इन केंद्रों को प्रस्तावों एवं योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर 50 लाख रुपए प्रति केंद्र की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. एनसीएस परियोजना में एनसीएस पोर्टल के साथ संबंधित राज्य पोर्टल के माध्यम से रोजगार कार्यालयों को परस्पर जोड़ने की भी परिकल्पना है। प्रस्तावों एवं योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान और झारखण्ड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

**<u>अनुबंध</u>**

**श्री नारणभाई काछड़िया, श्री रामचरण बोहरा एवं श्री विद्युत वरण महतो द्वारा रोजगार कार्यालय के बारे में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1327 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जारी की गई राशि (लाख में) | |
|---|---|---|---|
| | | एमसीसी योजना | परस्पर जोड़ने वाली योजना |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 21.18 | - |
| 2 | असम | 131.31 | 464.00 |
| 3 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 26.92 | - |
| 4 | आंध्र प्रदेश | 120.15 | 152.00 |
| 5 | बिहार | 76.79 | 645.00 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 96.59 | 416.00 |
| 7 | दमन और दीव | - | 7.04 |
| 8 | दिल्ली | 24.47 | - |
| 9 | गोवा | 8.25 | - |
| 10 | गुजरात | 114.19 | 406.00 |
| 11 | हरियाणा | 25.11 | 267.87 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 35.06 | 80.87 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 21.07 | 200.00 |
| 14 | झारखंड | 37.48 | 274.00 |
| 15 | कर्नाटक | 98.02 | 336.00 |
| 16 | केरल | 22.97 | - |
| 17 | लक्षद्वीप | 10.65 | - |
| 18 | महाराष्ट्र | 56.77 | - |
| 19 | मेघालय | 56.09 | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | 285.06 | 602.00 |
| 21 | मिजोरम | - | 29.92 |
| 22 | नागालैंड | 22.42 | 95.00 |
| 23 | ओडिशा | 103.67 | 291.00 |
| 24 | पुडुचेरी | 31.36 | 16.21 |
| 25 | पंजाब | 29.67 | 84.00 |
| 26 | राजस्थान | 26.79 | 272.00 |
| 27 | तेलंगाना | 41.91 | 222.00 |
| 28 | त्रिपुरा | 35.82 | 39.00 |
| 29 | तमिलनाडु | 53.6 | 560.00 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 114.3 | 629.37 |
| 31 | उत्तराखंड | 75.8 | 112.00 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 179.73 | 140.00 |